बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक– 8 बजट (1) 26/2025 4131 (नि0) **दिनांक–** 04/12/2025

प्रेषक

डॉ0 सुनील कुमार ठाकुर,
संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना (शत् प्रतिशत केन्द्रांश), मांग संख्या–02 के अधीन बजट शीर्ष 3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 01 जनगणना, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 0201 पशुधन गणना, विपत्र कोड 02–3454010010201 के अन्तर्गत कुल ₹10,00,00,000/– (दस करोड़) मात्र आवंटित राशि के व्यय के संबंध में।**

प्रसंगः– **पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का राज्यादेश सं0 2917 दिनांक 30.06.2025 एवं तत्क्रम में आवंटनादेश सं0 90 (नि0) आ0 दिनांक 23.09.2025**

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या 2917 दिनांक 30.06.2025 के क्रम में आवंटनादेश संख्या 90 (नि0) आ0 दिनांक 23.09.2025 एवं संलग्न विवरणी द्वारा व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 10,00,00,000/– (दस करोड़) मात्र आवंटन विमुक्त किया गया है।

संगत राज्यादेश सं0 2917 दिनांक 30.06.2025 की कंडिका–4 एवं राज्यादेश के अनुलग्नक–1 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में 21वीं पशुधन गणना कार्यक्रम अन्तर्गत Honorarium मद अन्तर्गत प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के मानदेय मद में रूपये 500.00 लाख (पॉच करोड़) मात्र एवं Other component मद यथा प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण, इन्टरनेट, पॉवर बैंक, प्रचार–प्रसार, स्वयं के उपकरण (मोबाईल) हेतु प्रोत्साहन राशि Contingency/Miscellaneous इत्यादि (मानदेय को छोड़कर) मद के तहत रूपये 500.00 लाख (पॉच करोड़) मात्र का व्यय किया जाना है।

तद्नुसार उक्त प्रासंगिक आवंटनादेश की कंडिका 3 के संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य में 21वीं पशुधन गणना कार्यक्रम का कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में पशुधन गणना कार्यक्रम अन्तर्गत Honorarium मद के अन्तर्गत प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के मानदेय संबंधी व्यय विषय शीर्ष– 28.02 संविदा सेवाऐं से एवं Other component मद यथा प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण इन्टरनेट, पॉवर बैंक, प्रचार–प्रसार, स्वयं उपकरण (मोबाईल) हेतु प्रोत्साहन राशि Contingency/Miscellaneous इत्यादि मद का व्यय विषय शीर्ष 13.01–कार्यालय व्यय के तहत किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि प्रासंगिक राज्यादेश में निहित निदेशों के आलोक में आवंटित राशि का व्यय करने हेतु अपने अधीनस्थ सभी संबंधितों को निर्देश देने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

04/12/25
संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 26/2025........4131 (नि०)..........   पटना–15, दिनांक....04./..12....../2025

प्रतिलिपि – उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या–टी0ए0– 57–96–97–प0पा0–9–46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0–405/98 पार्ट–3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा–09/योजना शाखा–10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को (विभागीय वेवसाइट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/12/25

संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)

3 I.T.